पत्रांक : 33 / वि०(भत्ता)–95 / 2020.......1696/वि०

***झारखण्ड सरकार***
***वित्त विभाग***

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी आयुक्त / उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची / दिनांक 15/07/2024

विषय : राज्य के चतुर्थवर्गीय कर्मियों / चालकों को पोशाक / वर्दी के क्रय हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या 664 / वि. दिनांक 07.03.2024 द्वारा निर्धारित दर के संबंध में स्पष्टीकरण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के संज्ञान में ऐसे मामले आये हैं, जिसमें वित्त विभागीय संकल्प संख्या 219 / पे. दिनांक 10.07.2008 के आलोक में राज्य के चतुर्थवर्गीय कर्मियों / चालकों को पोशाक / वर्दी के क्रय हेतु प्रत्येक जनवरी माह के वेतन के साथ एक बार किए जाने वाले निर्धारित दर रु० 5000 / – (पाँच हजार रुपये) के स्थान पर रु० 6,250 / –(छः हजार दो सौ पचास) का भुगतान किया जा रहा है।

2. वित्त विभागीय संकल्प सं० 664 / वि. दिनांक 07.03.2024 की कंडिका 6 द्वारा राज्य के चतुर्थवर्गीय कर्मियों / चालकों को पोशाक / वर्दी की आपूर्ति से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या 219 / पे. दिनांक 10.07.2008 की कंडिका 3 को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है :–

> 3. वर्दी की सामग्री एवं सिलाई व्यय सहित शीतकालीन / ग्रीष्मकालीन वर्दी के रूप में वर्दी की पात्रता रखने वाले कर्मियों को एक बार 5000 / – (पाँच हजार रुपये) प्रत्येक जनवरी माह के वेतन के साथ निम्न शर्तों के अधीन किया जायेगा :–
>
> (a) पोशाक / वर्दी के रख–रखाव हेतु धुलाई भत्ता अलग से भुगतेय नहीं होगा। यह इसी के अंतर्गत मान्य होगा।
>
> (b) महँगाई भत्ता की दर में 50% की वृद्धि होने की स्थिति में पोशाक / वर्दी के क्रय हेतु उक्त निर्धारित दर में 25% की वृद्धि अनुमान्य हो

3. वित्त विभाग के संकल्प सं० 743 / वि० दिनांक 15.03.2024 द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर 50% स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य के कर्मियों को पोशाक / वर्दी की आपूर्ति से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या 219 / पे. दिनांक 10.07.2008 में संशोधित संबंधित उक्त वित्त विभागीय संकल्प

(17)

संकल्प सं० 664/वि० दिनांक 07.03.2024 को निर्गत है, जिसके उप कंडिका 3(b) में अंकित है कि महँगाई भत्ता की दर में 50% की वृद्धि होने पर पोशाक/वर्दी के क्रय हेतु निर्धारित दर में 25% की वृद्धि अनुमान्य होगी।

राज्य के चतुर्थवर्गीय कर्मियों/चालकों को पोशाक/वर्दी के क्रय हेतु निर्धारित दर के संबंध में स्थिति स्पष्ट करना है की यदि दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से 50% महँगाई भत्ता अनुमान्य है तो, दिनांक 07.03.2024 को भी 50% महँगाई भत्ता अनुमान्य है। अतः पोशाक/वर्दी के क्रय हेतु निर्धारित दर में अगली वृद्धि तभी अनुमान्य होगी जब महँगाई भत्ता 50% + 50% अर्थात 100% हो जाएगा।

4. अतः उक्त के आलोक में पोशाक/वर्दी के क्रय हेतु निर्धारित दर के भुगतान के संबंध में निम्न कारवाई अपेक्षित है :-

(i) दिनांक 07.03.2024 के प्रभाव से पोशाक/वर्दी के क्रय हेतु राज्य के चतुर्थवर्गीय कर्मियों/चालकों को प्रत्येक जनवरी माह के वेतन के साथ एक बार रु० 5000/- (पाँच हजार रुपये) का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(ii) वित्त विभागीय संकल्प संकल्प सं० 664/वि० दिनांक 07.03.2024 की कंडिका 6 उप कंडिका 3(b) के क्रम में महँगाई भत्ता की दर जब 100% हो जायेगी, तब पोशाक/वर्दी के क्रय हेतु निर्धारित दर में 25% की वृद्धि अनुमान्य करते हुए रु० 6,250/- (छः हजार दो सौ पचास) भुगतेय होगी।

(iii) दिनांक 07.03.2024 के प्रभाव से यदि किसी राज्य के चतुर्थवर्गीय कर्मियों/चालकों को रु० 5000/- (पाँच हजार रुपये) से अधिक भुगतान किया गया है, तो भुगतान किए गए अधिकाय राशि (Excess Amount) का सामंजन अगले वर्ष में पोशाक/वर्दी के क्रय हेतु जनवरी माह के वेतन के साथ किए जाने वाले राशि से कर लिया जाय।

कृपया तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 33/वि०(भत्ता)-95/2020 1696/वि० रॉंची/दिनांक 15/07/2025

प्रतिलिपिः सभी कोषागार/कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/पी०एम०यू० कोषांग, वित्त विभाग/Registrar General, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव।